***न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर***

**अपीडी/टीए/3739/2002/सिरोही**

1 भूरीया पुत्र धनना जाति मेघवाल
2 शान्तिया पुत्र लकमा जाति मेघवाल सभी निवासी जामोतरा तहसील व जिला सिरोही

अपीलार्थीगण

बनाम

1 शंकरीया पुत्र तारा
2 चमना पुत्र दला
3 धनीया पुत्र दीपा
4 लीलीया पुत्र दीपा
5 कालीया पुत्र दीपा समस्त जाति मेघवाल निवासी जामोतरा
6 सोपू पुत्री दीपा पत्नी धन्ना
7 सोनी पुत्री दीपा पत्नी भूराराम जाति मेघवाल निवासी जामोतरा
8 गैरकी पुत्री दीपा पत्नी खासा निवासी उम्मेदगढ तहसील शिवगंज
9 पकीया पुत्र तेजा मेघवाल निवासी जामोतरा
10 चोथी पुत्री तेजा पत्नी ओबा मेघवाल निवासी जावाल तहसील सिरोही
11 राज्य सरकार

प्रत्यर्थीगण

**खण्ड पीठ**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**
**श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य**

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह वकील अपीलार्थीगण

**निर्णय**

**दिनांकः..22.4.19**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 48/01 में पारित निर्णय दिनांक 30.3.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद सहायक कलक्टर, सिरोही के समक्ष अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जामोतरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 139 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 10 खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि में वादीगण व अचलिया का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सम्वत 1993 में ही गांव जामोतरा छोडकर अहमदाबाद चले गये एवं वहीं रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 अहमदाबाद निवास करता है। गांव जामोतरा में उसका कोई मकान नहीं है, वोटरलिस्ट में उसका नाम नहीं है। राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर होस्टाइल पजेशन है जिससे वे एडवर्स पजेशन से खातेदार हो गये। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 24.2.2001 से वाद वादीगण खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.3.2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्लीडिंगस के अनुसार तनकियात कायम नहीं की है। वादी अपीलार्थीगण की साक्ष्यों से यह साबित है कि विवादित भूमि पर 50 वर्षो से प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा नहीं है। विवादित आराजी का मौके पर आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर अपीलार्थी संख्या 1 काबिज काश्त है। आराजीयात विभाजित होने से वादी का प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि पर एडवर्स पजेशन बनता है एवं इस आधार पर वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित भूमि का खातेदार नहीं रहा है तथापि यदि उसे खातेदार माना भी जावे तो आवस्टिन के सिद्धान्त पर अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार हासिंल हो चुके थे। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

5. वादी के वादपत्र से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने मुख्य रूप से अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व अभिलेख में दर्ज 1/6 हिस्से से इन्कार करते हुए उस पर स्वंय का कब्जा होना एवं

एडवर्स पजेशन से खातेदार हो जाने से घोषणा का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 प्रदर्श 1 में प्रतिवादी संख्या 1 शंकरीया वल्द तारा 1/6 हिस्से का सह खातेदार दर्ज है। राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट हे कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि का सह खातेदार है। भूरीया वल्द धन्ना का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि सह खातेदार हैं।

6. वादीगण अपीलार्थीगण का यह तर्क रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 गांव जामोतरा में नहीं रहता तथा अहमदाबाद रहता है तथा विगत 50 वर्षो से वादी ही शंकरीया के हिस्से पर काबिज है जिससे उसका एडवर्स पजेशन हो जाता है। वादीगण का उक्त तर्क महत्वहीन है। क्योंकि प्रथम तो विवादित भूमि सह खातेदारी की है तथा सह खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। द्वितीय किसी सह खातेदार के गांव से बाहर होने से सह खातेदार के हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी संख्या 1 को अहमदाबाद में रहना भी माना जावे तो भी उसके अधिकार समाप्त नहीं होते हैं एवं सह खातेदार के विरूद्ध एडवर्स पजेशन नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही का निर्णय दिनांक 30.3.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मोहनलाल नेहरा)**
**सदस्य**

**(मोडूदान देथा)**
**सदस्य**